

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

राष्ट्र बोर्ड, रावतभाटा

बनाम : लीला गांधार

किस्म मुकदमा

अहकाम

नं०

39/2022

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जा
1) 02 2025	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. द्वारा अवकाश पर होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 61.3.25 को पेश की जावे</p> <p><i>B.P.</i> <i>[Signature]</i></p>	
06 2025	<p>पत्रावली पेश हुई) वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा वादी व वकील वादी को न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई। वातपूरा वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः उक्त में वादी की ओर से पेश की हेतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली (वाद-पत्र) इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली अदम शुमार लेकर दर्ज रजिस्टर से फीम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	